



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड लोक निर्माण विभाग, जेडवाल (देहरादून)  
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, N.H. P.W.D., Doiwala

E-Mail-[eenhdoiwala@rediffmail.com](mailto:eenhdoiwala@rediffmail.com)



Phone & Fax- 01352695884

सेवा में

पत्रांक:- 788/144510

दिनांक

10/05/2018

विषय:-

Vindhya Telelinks Limited.  
EPC Division,  
Plot No. E-237, Tower Greens,  
3<sup>rd</sup> Floor, VIII B, Industrial Area,  
Mohali-160055, Punjab, India.

सन्दर्भ:-

Laying of optical fibre Cable Aerial Mode Charges by Vindhya Telelinks Limited from Tyuni Market via Mungad, Jaddi, Sawada, Daragad Village to Chakrata Barrier in NH-707A (Km 0 to 82).  
आपका पत्रांक शून्य दिनांक 28.04.2018

उपरोक्त विषय के कम में आप द्वारा प्रेषित बैंक ड्राफ्ट सं 192103 दिनांक 24/04/2018 स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है:-  
रु. 2511250.00 इस कार्यालय में प्राप्त किया गया है, जिसके कम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 707ए के कि.मी. 0 से 82 में रोड कटिंग हेतु

1:- यदि मविष में मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है तो आपके द्वारा विछाई गई लाईन आपके विभाग को अपने व्यय पर रिपेट करनी पड़ेगी। यदि निर्धारित समय तक आपके द्वारा उक्त लाईन नहीं हटाई जाती है तो विभाग को अधिकार होगा कि वह उक्त लाईन को हटा/दबा देगा तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय को आपसे वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा यदि पाईन लाईन हटाई नहीं जाती और दबा दी जाती है, तो उस दशा में दबा लाईन की सफाई बंद करनी होगी। मार्ग के नीचे लाईन लोकेज के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो कि राजकीय क्षति के साथ-साथ कई बार दुर्घटना का कारण भी बन जाता है।  
2:- मार्ग कटने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा प्रबन्ध तथा बैरिकेडिंग, रिट्रेसिंग आदि किये जाने के पश्चात किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।  
3:- सड़क कटने समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनों ओर प्रबन्ध किये जाय, यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।  
4:- जिस समय मार्ग कटने का कार्य किया जाये उससे पूर्व लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी महोदय देहरादून को यथासमय सूचित किया जाये।  
5:- उपरोक्त स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 तक वैध है तथा उक्त लिख के बाद 2 % अधिक धनराशि जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।  
6:- सीवर लाईन बिछाने का कार्य सड़क की सतह से कम से कम 1.00 मीटर गहराई पर होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि इससे कम गहराई पर लाईन बिछाई जाती है तो यदि मविष में मार्ग को पुनः निर्माण आदि के लिये 1.00 मीटर से कम गहराई पर खोदा जाता है व उससे आपके द्वारा खोई जाती है तो यदि मविष में मार्ग को पुनः निर्माण आदि के लिये 1.00 मीटर से कम गहराई पर खोदा जाता है व उससे सड़क कटने के पश्चात गयी जाने वाली क्षतिग्रस्त होती है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।  
7:- सड़क कटने के पश्चात गयी जाने वाली क्षतिग्रस्त होती है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।  
8:- खुदाई करते समय पक्के मार्ग के नीचे का ब्लैस्ट आदि ढ़ेव के एक ओर तथा खुदाई की मिट्टी दूसरी ओर रखी जाये। कार्य पूर्ण होने पर पहले मिट्टी भरी जाय, एक दो दिन बाद मिट्टी दबाकर फिर खोदा गया ब्लैस्ट उसके उपर डाला जाय, मिट्टी तथा ब्लैस्ट को ढ़ेकर से पाती डालकर कम्पैक्ट किया जाय।  
9:- जब कभी लाईन में आपके द्वारा कोई कार्य किया जायेगा तो कार्य करने से पूर्व आवश्यक श्रुतक जमाकर अनुमति लेनी होगी।  
10:- रोड कटिंग यात्राज रु. 2511250.00 जो कि आपके द्वारा बैंक ड्राफ्ट सं 192103 दिनांक 24/04/2018 द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा किये गये हैं व मार्ग को मविष में सुचारु रूप से चालू रखने हेतु व्यय किये जाते हैं। यह राशि नोन रिक-डेबिल है।  
11:- खुदाई की मिट्टी पक्की सतह पर न डाली/खोड़ी जाय।  
12:- आपके द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि 82 किलोमीटर लम्बी रोड कटिंग, जिसका विवरण उपर दिया गया है हेतु लेनी गई है। यदि कटिंग उक्त क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कटिंग की धनराशि आपको गुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को समय पर जमा न कर पाये तो विभाग को अधिकार होगा कि वह वसूली एन ए लैण्ड वैब्यू वसूल करवाये जायेगा तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।  
13:- कार्य करने से पूर्व पुलिस विभाग से उक्त रोड कटिंग हेतु अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।  
14:- मार्ग पर कार्य करते समय सड़क के दोनों किनारों पर सूचना बोर्ड लगाकर यातायात को सुगम रखें।

पत्रांक

/144510

प्रतिनिधि:- जिलाधिकारी देहरादून को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिनिधि:- सहायक अभियन्ता प्रथम खण्ड खण्ड लोनिओविओ

की वास्तविक विस्तृत सूचना एवं अतिरिक्त कटिंग का बिल अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय, यदि निर्माण के दौरान इससे अनियमितता पाई गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित मेट व अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

प्रतिनिधि:-खण्डीय रीकडिया को उपरोक्त ड्राफ्ट सहित आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि:-कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) खण्ड लोनिओविओ जेडवाल देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड लोनिओविओ,

जेडवाल (देहरादून)

तददिनांक

जेडवाल (देहरादून)

खण्ड लोनिओविओ,

अधिशासी अभियन्ता,

10/5/18